ज्यादा व्यापारियों को लाया जाएगा जीएसटी के दायरे में

राज्य मुख्यालय। वाणिज्य कर विभाग पेट्रोल व डीजल पर वैट की कमी से होने वाले घाटे की भरपाई 25 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे में लाएगा। वाणिज्य कर विभाग ऐसे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए पंजीकरण अभियान चलाने जा रहा है। इसके जरिए जीएसटी की वसूली बढ़ाकर राजस्व वसूली को बढ़ाया जा सकेगा।

महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए वैट की दरों में कमी की गई है। व्यापारियों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए जोनल अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। ऐसे व्यापारियों के दायरे में आने के बाद जीएसटी की होने वाली वसूली में आधा हिस्सा राज्य के खाते में आएगा।